ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP)

drishtiias.com/hindi/printpdf/graded-response-action-plan

प्रिलिम्स के लिये:

वायु गुणवत्ता सूचकांक, ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान, पर्यावरण प्रदूषण (रोकथाम और नियंत्रण) प्राधिकरण

मेन्स के लिये:

ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान की विभिन्न श्रेणियाँ

चर्चा में क्यों?

हाल ही में **वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM)** ने बताया है कि **ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP)** की **"बहुत खराब"** एवं **"गंभीर" श्रेणी** के तहत शामिल उपाय 48 घंटे के दौरान वायु की गुणवत्ता और भी दूषित व निर्धारित स्तर से अधिक होने पर लागू होंगे।

प्रमुख बिंदु

ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP):

- **परिचय:**
  - राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में वायु गुणवत्ता के संबंध में **एमसी मेहता बनाम भारत संघ (2016)** के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार, विभिन्न **वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI)** के तहत कार्यान्वयन के लिये एक ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान तैयार किया गया है। इन्हें मुख्य श्रेणियों में अर्थात् **औसत से खराब, बहुत खराब और गंभीर श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है।**
    इसमें **"गंभीर + या आपातकाल"** की एक नई श्रेणी जोड़ी गई है।
  - इस योजना को **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वर्ष 2017 में अधिसूचित** किया गया था।
  - इसने वायु की गुणवत्ता खराब होने पर किये जाने वाले उपायों को **संस्थागत रूप** दिया।
    - यह योजना **प्रकृति में वृद्धिशील** है, इसलिये जब वायु गुणवत्ता 'खराब' से 'बहुत खराब' की ओर बढ़ती है, तो दोनों वर्गों के तहत सूचीबद्ध उपायों का पालन किया जाना चाहिये।
    - यह PM10 और PM2.5 स्तरों को 'मध्यम' राष्ट्रीय AQI श्रेणी से आगे जाने से रोकता है।
- **कार्यान्वयन:**
  - वर्ष 2020 तक सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त **पर्यावरण प्रदूषण (रोकथाम और नियंत्रण) प्राधिकरण (EPCA)** राज्यों को GRAP उपायों को लागू करने का आदेश देता था।
  - EPCA को भंग कर **वर्ष 2020 में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM)** द्वारा इसे प्रतिस्थापित किया गया था।
    CAQM अंतर्निहित उपचारात्मक दृष्टिकोण के साथ **दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान** और **उत्तर प्रदेश** में वायु गुणवत्ता में सुधार हेतु विविध प्रयासों के समन्वय और निगरानी के लिये एक **वैधानिक तंत्र** है।

श्रेणी	परिवेशी कण पदार्थ (PM)	मानक
औसत से खराब	• PM2.5, 61-120 µg/ घन मीटर • PM10, 101-350µg/ घन मीटर	• थर्मल पावर प्लांट में प्रदूषण नियंत्रण नियमों को लागू करना। • सड़कों पर मशीन द्वारा सफाई। • पटाखों पर सख्ती से प्रतिबंध लागू करना। • कचरा जलाने पर प्रतिबंध।
बहुत खराब	• PM2.5 ,121-250 µg/ घन मीटर • PM10, 351-430 µg/ घन मीटर	• डीज़ल जनरेटर सेट का उपयोग बंद करना। • बस और मेट्रो सेवाओं में वृद्धि एवं मेट्रो सेवाओं की आवृत्ति में वृद्धि। • होटल और खुले में स्थित भोजनालयों में कोयले/जलाऊ लकड़ी का उपयोग बंद करना।

गंभीर	• PM 2.5, 250 µg/घन मीटर से अधिक • PM10, 430µg/घन मीटर से अधिक।	• सड़क की लगातार मशीनीकृत सफाई और पानी का छिड़काव करना। • ईंट भट्टों, हॉट मिक्स प्लांट, स्टोन क्रशर को बंद करना। • बदरपुर पावर प्लांट बंद करना। • अलग-अलग दरों वाले सार्वजनिक परिवहन को प्रोत्साहित करना।
गंभीर+ या आपातकाल	• PM2.5 ,300 µg/घन मीटर से अधिक • PM10, 500µg/घन मीटर से अधिक **(48 घंटे या उससे अधिक समय तक स्थिर स्थिति)**	• दिल्ली में ट्रकों का प्रवेश बंद (आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर)। • निर्माण कार्य बंद। • निजी वाहनों के लिये विषम/सम योजना का प्रारंभ। • स्कूलों को बंद करना।

अन्य उपाय:

- **पर्यावरण संरक्षण शुल्क (EPC):** 2016 में सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली और एनसीआर में 2000cc एवं उससे अधिक **के डीज़ल कारों की बिक्री पर 1% का EPC** लगाया।
- **पर्यावरण मुआवज़ा शुल्क (ECC):** वर्ष 2015 में सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली में प्रवेश करने वाले ट्रकों पर ईसीसी लगाया।

स्रोत: द हिंदू